

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :-197/25 पत्थरगढी

तारीख दायर 14/11/2025

1. मांगीलाल पुत्र श्री देबीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. शारदा पुत्री देबीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री जीतमल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. भवरलाल पुत्र श्री जीमल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजुलाल पुत्र श्री मदन जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
4. भू-स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक 23/11/2025

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण मांगीलाल शारदा धाकड़ ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड़ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि ग्राम डोबिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 28 पर अंकित आराजी संख्या 111 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, आराजी संख्या 112 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 113 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुलकिता 3 रकबा 0.8175 हैक्टेयर स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम डोबिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 28 पर अंकित आराजी संख्या 111 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, आराजी संख्या 112 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 113 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुलकिता 3 रकबा 0.8175 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 197 / 25 पत्थरगढी

तारीख दायर 14/11/2025

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या197 / 25पत्थरगढी बाबत।

1. मांगीलाल पुत्र श्री देबीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शारदा पुत्री देबीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री जीतमल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भवरलाल पुत्र श्री जीमतल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजुलाल पुत्र श्री मदन जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ग्राम डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भू-स्वामी श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम डोबिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 28 पर अंकित आराजी संख्या 111 रकबा 0.4128 हैक्टेयर, आराजी संख्या 112 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी संख्या 113 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुलकिता 3 रकबा 0.8175 हैक्टेयर भुमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड/अधिकारी
बिजौलियाँ